AFR

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर

निर्णय संरक्षित दिनांकः–13.09.2021

निर्णय घोषित दिनांकः–09.11.2021

एस.ए. नम्बर 397/2009

समीर पिता भावरंजन, उम्र लगभग 47 वर्ष

निवासी- कंचन नगर पोस्ट अरागाही,

तहसील एवं जिला-रामानुजगंज,

जिला- सरगुजा (छ.ग.) .....**अपीलार्थी**

विरूद्ध

01- गौरी दासी पति स्व० आनंद मंडल,उम्र लगभग 60 वर्ष

02- ठाकुरशील पिता हरिपदशील, उम्र लगभग 45 वर्ष

03- विजयशील पिता ठाकुरशील, उम्र लगभग 23 वर्ष

सभी निवासी ग्राम कंचन नगर तह. पाल

जिला-सरगुजा (छ.ग.)

04- तहसीलदार,

पाल, जिला-सरगुजा (छ.ग.)

05- छ०ग० राज्य

द्वारा-कलेक्टर,सरगुजा(छ.ग.) .....**उत्तरवादीगण**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी द्वारा :- श्री एस.एन. नंदे एवं बी.एन. नंदे अधिवक्ता।

उत्तरवादीगण/ राज्य द्वारा :- श्री समीर उराव शासकीय अधिवक्ता।

माननीय श्री न्यायमूर्ति राजेन्द्र चंद्रा सिंह सामंत

सी.ए.व्ही आदेश

01- यह द्वितीय अपील पीड़ित द्वारा अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एफ.टी.सी.) द्वारा व्यवहार अपील नम्बर 13-अ /2006 में पारित आलोच्य निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.08.2009 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है जिसमें अपील स्वीकार कर व्यवहार वाद क्रमांक 02 ए/1992 में विचारण न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.03.2006 को रद्द किया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

02- उक्त द्वितीय अपील निम्नलिखित सारवान विधि के प्रश्नो पर सुनवाई हेतु स्वीकार किया गया है-

01- क्या वादी/अपीलार्थी को मंजूर किया गया पट्टा अपीलार्थी को भूमि स्वामी उपाधि का अधिकार प्राप्त होने के बाद अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा निरस्त किया जा सकता है?

02- क्या पुनर्वास योजना के अंतर्गत किसी लाभार्थी को पुनर्वास अधिकारी द्वारा दिया गया पट्टा, राजस्व अधिकारी के रूप में कार्य करने वाले अपर कलेक्टर द्वारा रद्द किया जा सकता है, न की पुनर्वास योजना के तहत अधिकारी के रूप में?

03- वाद के तथ्य यह है कि अपीलार्थी पूर्वी पाकिस्तान से भारत शरणार्थी के रूप में आया और उसे ग्राम कंचन नगर जिला सरगुजा में पुनर्वासित किया

गया था और उसे वर्ष 1964-65 में शासकीय भूमि खसरा नम्बर 37/2, 37/3, 44 एवं 52 रकबा 0.544, 0.647, 0.090, 0.580 हेक्टेयर कुल 1.861 हेक्टेयर भूमि पट्टे में दिया गया था। पुनर्वास अधिकारी द्वारा पट्टा स्वीकृत किये जाने के बाद से अपीलार्थी उसे पट्टे पर स्वीकृत भूमि पर आजीविका अर्जित कर रहा था। उत्तरवादी क्रमांक 01 द्वारा अतिरिक्त कलेक्टर सरगुजा अम्बिकापुर के समक्ष राजस्व प्रकरण क्रमांक 73 अ-19/89-90 संस्थित किया गया और अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा आदेश दिनांक 09.10.1991 द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में स्वीकृत पट्टा निरस्त किया गया। तत्पश्चात अपीलार्थी द्वारा उत्तरवादीगण के विरूद्ध व्यवहार वाद क्रमांक 02 अ/1992 संस्थित कर अभिवचन किया गया कि पुनर्वास अधिकारी द्वारा उसे पट्टा स्वीकृत किया गया था और उसने वादभूमि पर स्वत्व अर्जित कर लिया है। कलेक्टर को अपीलार्थी को स्वीकृत पट्टे को निरस्त करने का कोई अधिकार नहीं है। वाद संपत्ति में स्वत्व की घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा सहित वाद के दौरान बेकब्जा किये जाने की दशा में कब्जा के अनुतोष की याचना की गयी।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

04- विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय और डिक्री दिनांक 28.03.2006 अनुसार अपीलार्थी के पक्ष में वाद की डिक्री की गयी और उदघोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष स्वीकार किया गया।

उत्तरवादी क्रमांक 01 ने सिविल अपील क्रमांक 13 अ/2016 प्रस्तुत किया, जिसे स्वीकार किया गया और विचारण न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया गया।

05- अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि अपीलार्थी को भारत सरकार की योजना के तहत पुनर्वास किया गया था। जिसके अधीन उसे वाद भूमि का पट्टा दिया गया था। जिला पुनर्वास अधिकारी द्वारा दिये गये पट्टे को कलेक्टर द्वारा निरस्त नहीं किया जा सकता। अपीलार्थी का नाम अधिकार अभिलेख में दर्ज किया गया था जो प्र.पी.-11 होकर विचारण न्यायालय के अभिलेख में मौजूद है। यह निवेदन किया गया कि उत्तरवादी क्रमांक 05 द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में जारी पट्टे को निरस्त करने का आदेश पारित करते समय छ०ग० भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 182 के अधीन प्रदत्त विनिर्दिष्ट प्रावधान का पालन नहीं किया गया। यह भी निवेदन किया गया कि भूमि स्वामी अधिकार भी अपीलार्थी में निहित है। पट्टा अनुबंध (प्र.पी.-20) के खंड 14 में प्रावधान है कि पांच वर्ष पूर्ण होने के बाद भूमि स्वामी अधिकार देने पर विचार किया जायेगा। जिसके बाद प्रदत्त पट्टा समाप्त की जा सकेगी अथवा विस्तारित की जा सकेगी। पट्टा अनुदान की तिथि से पट्टा को निरस्त अथवा विस्तारित किये जाने के संबंध में कोई भी आदेश नहीं था, इसलिये यह माना जा सकता है कि भूमि स्वामी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अधिकार अपीलार्थी में निहित हो गया। एक बार अधिकार निहित होने पर छीना नहीं जा सकता अतः अपील न्यायालय का आलोच्य निर्णय एवं डिक्री स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है, इसलिये द्वितीय अपील स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

06- प्राइवेट उत्तरवादीगण का प्रतिनिधित्व नहीं किया गया है।

07- उत्तरवादी क्रमांक 04 एवं 05 की ओर से उपस्थित शासकीय अधिवक्ता द्वारा विरोध किया गया एवं निवेदन किया गया कि अपील न्यायालय द्वारा आलोच्य निर्णय एवं डिक्री पारित करने में कोई त्रुटि कारित नहीं की गयी है इसलिये आलोच्य निर्णय एवं डिक्री में हस्तक्षेप करने का कोई आधार मौजूद नहीं है अतः द्वितीय अपील निरस्त किया जाये।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

08- मेरे द्वारा उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया एवं अभिलेख में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया।

प्रथम सारवान विधि के प्रश्न का निपटारा किया गया

09- अपीलार्थी पर यह भार/दायित्व था कि वह साबित करे कि भूमि-स्वामी अधिकार उसमें निहित हो गया था। वादपत्र में यह अभिवचन किया गया है कि पुनर्वास प्रक्रिया के दौरान वाद संपत्ति का पट्टा अनुदान किया गया था और अपीलार्थी के पक्ष में राजस्व अभिलेख नामांतरित किया गया था इसलिये उसने वाद संपत्ति पर स्वत्व प्राप्त कर लिया है जिसके संबंध में

स्वत्व की घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया था। वादपत्र में अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई अभिवचन नहीं किया गया कि राज्य सरकार द्वारा उसे कभी भी भूमि स्वामी अधिकार प्रदत्त किये गये थे इसलिये सारवान विधि के प्रथम प्रश्न का उत्तर नकारात्मक में दिया गया।

10- विधि के द्वितीय सारवान प्रश्न पर विचार करते समय इस बात को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता कि अपीलकर्ता को वाद संपत्ति का पट्टा अनुदान किया गया था, किंतु विवाद यह है कि ऐसा पट्टा पुनर्वास योजना के अधीन अनुदत्त किया जाना पुनः साबित करना आवश्यक है। वादपत्र में यह अभिवचन किया गया है कि पट्टा पुनर्वास योजना के अधीन अनुदत्त किया गया है। अपीलकर्ता को पट्टा अनुदत्त किया जाना और राजस्व अभिलेख में नामांतरण के साथ उसका कब्जा होना विवादित नहीं है। विचारणीय विषय केवल यह है कि क्या पट्टे का अनुदान किसी शरणार्थी पुनर्वास योजना के अधीन दिया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11- पट्टा अनुबंध (प्र.पी.-20) अपीलकर्ता के पिता के नाम पर दिनांक 22.06.1982 को अनुदत्त किया गया था। पट्टा (प्र.पी.-20) की शर्तो का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि पट्टा भू राजस्व संहिता 1959 के प्रावधानो के अधीन पांच वर्ष की अवधि के लिये अनुदत्त की गयी थी, जो कि पांच वर्ष के बाद निरस्ती का विषय थी, यदि विस्तारित नहीं किया

जाता। स्पष्ट रूप से वर्ष 1982 वह वर्ष नहीं था जिसमें पूर्वी पाकिस्तान वर्तमान बांग्लादेश के प्रवासी शरणार्थी के रूप में भारत के प्रदेशो में आये थे। यह साबित करने का दायित्व अपीलकर्ता पर था कि शरणार्थियों के पुनर्वास की योजना के अंतर्गत पट्टा अनुदत्त किया गया था, किंतु विचारण न्यायालय के अभिलेख में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं है और न ही कोई दस्तावेजी साक्ष्य लाया गया या प्रस्तुत है, इसलिये इस बात का सबूत नहीं है कि अपीलकर्ता किसी शरणार्थी पुनर्वास योजना का लाभार्थी था, अतः ऐसे किसी भी योजना में वाद भूमि का बंटन साबित नहीं हुआ है।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

12- अपीलकर्ता की स्थिति केवल सरकारी पट्टेदार की होगी जैसा कि छ०ग० भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 181 के अधीन परिभाषित किया गया है। पट्टा आबंटित करने वाले प्राधिकारी द्वारा विस्तारण नहीं किये जाने की स्थिति में अनुदत्त पट्टा समाप्त करने योग्य था। छ०ग० भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 182 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राजस्व प्रकरण क्रमांक 173 अ-19/89-90 में अतिरिक्त कलेक्टर सरगुजा के आदेश दिनांक 09.10.1991 द्वारा अपीलकर्ता के पक्ष में जारी पट्टा निरस्त किया गया है इसलिये द्वितीय विधि के सारवान प्रश्न का उत्तर भी नकारात्मक गया है क्योंकि अपीलकर्ता यह साबित करने में विफल रहा है कि भूमि का पट्टा किसी पुनर्वास योजना के अधीन दिया गया था।

13- अतः द्वितीय अपील में विरचित दोनों विधि के सारवान प्रश्नों का निष्कर्ष नकारात्मक पाये जाने के आधार पर यह अपील सारहीन पायी जाती है जिसे तदनुसार निरस्त किया जाता है।

सही /-
(राजेन्द्र चन्द्र सिंह सावंत)
(न्यायाधीश)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur